अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपनी कंपनी की 51वीं वार्षिक रिपोर्ट आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। कोविड–19 महामारी का संकट अभी भी हम सबके समक्ष मौजूद है, यह हमारे कारोबार और अर्थव्यवस्था के लिए कठिन समय है। तथापि, इस महामारी के चलते हम पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उससे हमें जीवनयापन करने और कारोबार करने की नई दिशा मिली है। इस चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद, आरईसी देश के एक प्रमुख वित्तीय और विकासपरक संस्थान के रूप में कार्यरत है, और इसके द्वारा वर्तमान जोखिमों का सतर्कतापूर्वक प्रबंधन करते हुए हर क्षेत्र में कुशल कार्यनिष्पादन किया जा रहा है। कंपनी ने महामारी के दौरान पीएम केयर्स फंड में योगदान के अलावा, प्रवासी कामगारों के लिए भोजन और आश्रय का प्रबंधन तथा लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया है और अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए चिकित्सा उपकरण एवं सामग्री प्रदान करके अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

विगत दो वर्षों से वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति में गिरावट आती जा रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जो वर्ष 2017 में 4 प्रतिशत बढ़ी थी, वह 2018 में 3.6 प्रतिशत और वर्ष 2019 में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नीचे आ गई। वर्ष 2020 की शुरूआत में कोविड–19 महामारी के चलते, एक के बाद एक कई देश भारी मानव श्रम और जन स्वास्थ्य के संकट से प्रभावित हुए हैं। इस दौरान, आर्थिक गतिविधियों पर अप्रत्याशित स्तर तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चीन में भी उत्पादन क्रियाकलापों में भारी गिरावट देखी गई जिसे महामारी का केंद्र माना गया। इन सबका वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, निर्माण क्रियाकलापों और सीमा पार व्यापार में दीर्घकालिक रुकावट आई। इसी प्रकार, संपत्ति की कीमतों, वस्तुओं की कीमतों और इक्विटी बाजार में भी तेजी से गिरावट आई है। तेल की कीमतों में कमी आने से कुछ राहत मिली है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अनिश्चितता बनी हुई है।

विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों की सरकारें, बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों और कामगारों की सहायता करने के साथ–साथ अस्थिर बाजार को राजकोषीय सहायता देने में जुट गए। व्यापक वित्तीय प्रोत्साहनों के कारण आगे कारोबारी परिवेश में और अधिक गिरावट तथा एक बड़ी मंदी को रोका गया।

भारत भी महामारी से प्रभावित हुआ था, लेकिन सरकार द्वारा शीघ्रता से सख्त कदम उठाए जाने के कारण इसके बुरे प्रभाव को सही तरीके से रोका जा सका। भारतीय अर्थव्यवस्था की हाल के दशकों में मजबूत स्थिति थी, लेकिन चूंकि अंतिम तिमाही में कोविड–19 और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते बुरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस महामारी के चलते चुनौतियां जारी रहने के कारण, आईएमएफ ने वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान लगाया है। तथापि, अगले वर्ष में अर्थव्यवस्था में पुनः वृद्धि होने की संभावना है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए हमें आत्मनिर्भर भारत का विजन दिया है। इस महामारी के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए, नीतियां बनाने के साथ–साथ भारी वित्तीय पैकेज प्रदान किया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 15 वर्ष की सबसे कम 4 प्रतिशत कटौती और रिवर्स रेपो रेट में 3.35 प्रतिशत की कटौती की है, इसके अलावा, बैंकों, एनबीएफसी और आवासीय वित्त कंपनियों को ईएमआई रोकने और छः माह तक मोरेटोरियम अवधि बढ़ाने की अनुमति दी है।

कोविड–19 के चलते 'सोशल डिस्टेंसिंग' और 'वर्क फ्रॉम होम' के नए मानक लाए गए, जिसमें हमारी वर्तमान और भावी सोसायटियों को बिजली प्रदान करने पर अधिक बल दिया गया। यह कहा जाता है कि, विद्युत क्षेत्र महामारी के प्रतिकूल प्रभावों और आर्थिक क्रियाकलापों में कमी से बच नहीं सकता। समय बीतने के साथ दीर्घावधिक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देंगे। कुल मिलाकर, बिजली की मांग को बनाए रखने और बेहतर ऊर्जा प्रणालियों के रख–रखाव के लिए आर्थिक विकास को बरकरार रखनी जरूरी है। आने वाले वर्षों में, हम स्मार्ट ग्रिड, भूस्थानिक

डाटा प्रणाली तथा व्यापक ई–मोबिलिटी जैसी नई प्रौद्योगिकियों के रूप में भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली के उत्पादन में वृद्धि देखेंगे, जो हमारी आज की ऊर्जा संबंधी योजना के निर्माण का आधार बनेगा।

विद्युत क्षेत्र का परिदृश्य

विद्युत आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आती है इसलिए देश में विद्युत क्षेत्र को कोविड–19 के कारण बहुत कम बाधा का सामना करना पड़ा। तथापि, विद्युत की मांग में वाणिज्यिक और औद्योगिक क्रियाकलापों में गिरावट के चलते काफी गिरावट आई है। विद्युत वितरण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, जिसमें राजस्व की वसूली प्रभावित होने से भागीदारों की वित्तीय और लिक्विडिटी संबंधी स्थिति प्रभावित हुई। जैसे–जैसे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, मांग में भी सुधार आना शुरू हो गया। इसके अलावा, सरकार ने अचानक सामने आई नकदी की समस्या से राहत प्रदान करने के लिए विद्युत क्षेत्र को लिक्विडिटी प्रदान करने की घोषणा भी की।

भारत विश्व में विद्युत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार इसकी कुल संस्थापित विद्युत क्षमता 370 गीगावाट है। भारतीय विद्युत क्षेत्र एक ओर तो कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, जल विद्युत और नवीकरणीय विद्युत जैसे पारंपरिक स्रोतों और दूसरी ओर सौर विद्युत, पवन विद्युत और कृषि व घरेलू कचरे जैसे नवीकरणीय स्रोतों के साथ अत्यधिक विविधीकृत है। उत्पादन मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा, सरकार उजाला, एसएलएनपी, राष्ट्रीय ई–मोबिलिटी कार्यक्रम और सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग प्रोग्राम इत्यादि जैसे नवोन्मेषी कार्यक्रमों के जरिए विभिन्न ऊर्जादक्षता के उपाय कर रही है, जिनसे बिजली की बचत और पर्यावरणीय संधारणीयता, दोनों प्रयोजन पूरे होंगे।

सरकार द्वारा 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' प्रदान करने पर बल दिए जाने से देश के क्षमता संवर्धन में तेजी आई है। देश में करीब 750 मिलियन लोगों को वर्ष 2000 से 2019 के बीच बिजली सुलभ कराई गई है, जो सशक्त और प्रभावी नीति कार्यान्वयन को दर्शाता है। एक कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनने पर अत्यधिक बल दिया गया है। भारत के पास नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करने की भारी संभावना है। इसके अलावा, स्मार्ट शहरों का विकास और ऊर्जा बचत व भंडारण उपकरणों के आने से ये निवेश आकर्षण के नए स्रोत बन गए हैं।

प्रचालनात्मक निष्पादन

आरईसी विद्युत उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा, दोनों) पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण की परियोजनाओं/योजनाओं और सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों, दोनों में विद्युत परियोजनाओं के साथ फॉरवर्ड/बैकवर्ड लिंकेज वाले क्रियाकलापों के वित्तपोषण में लगा हुआ है। इसके प्रमुख क्रियाकलापों में समग्र विद्युत क्षेत्र के वैल्यू चेन के लिए दीर्घावधिक, मध्यावधिक और अल्पावधिक ऋण इत्यादि शामिल हैं।

इसके अलावा, आरईसी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और एनईएफ आदि के लिए नोडल एजेंसी अथवा परियोजना प्रबंधन/कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी ने विद्युत क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओंध्योजनाओं के निमित्त 1,10,907.99 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता स्वीकृत की है। इसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 55,811.89 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 7,026.33 करोड़ रुपये, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 41,604.77 करोड़ रुपये और अल्पावधि, मध्यावधि तथा अन्य ऋणों के लिए 6,465.00 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी ने कुल 75,666.95 करोड़ रुपये की ऋण राशि संवितरित की है। इसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए 27,490.87 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 5,699.09 करोड़ रुपये, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 30,856.19 करोड़ रुपये, अल्पावधिक, मध्यावधिक और अन्य ऋणों के लिए 6,390.00 करोड़ रुपये तथा डीजी (विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन) सहित डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के तहत काउंटर पार्ट फंडिंग के लिए 5,230.80 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, डीडीयूजीजेवाई, डीडीयूजीजेवाई–डीडीजी और सौभाग्य योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई 6,473.88 करोड़ रुपये की अनुदान/सब्सिडी भी वितरित की गयी थी।

वित्तीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आरईसी की कुल प्रचालन आय विगत वित्तीय वर्ष के दौरान 25,309.72 करोड़ रुपये की तुलना में 29,791.06 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कर पश्चात लाभ तथा कुल व्यापक आय विगत वित्तीय वर्ष में क्रमशः 5,763.72 करोड़ रुपये और 5,703.18 करोड़ रुपये की तुलना में 4,886.16 करोड़ रुपये तथा 4,336.37 करोड़ रुपये थी।

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आरईसी की सकल ऋण परिसंपत्ति बुक विगत वित्तीय वर्ष में 2,81,209.68 करोड़ रुपये की तुलना में 3,22,424.68 करोड़ रुपये थी। कंपनी की निवल आय दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 35,076.56 करोड़ रुपये अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार निवल आय 34,302.94 करोड़ रुपये की तुलना में 2.26 प्रतिशत अधिक है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जुटाई गई उधारी और दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार बकाया उधारी के लिए समग्र भारित औसत वार्षिकीकृत ब्याज दर, अन्य वित्तीय प्रभारों को छोड़कर, क्रमशः 6.70 प्रतिशत और 7.32 प्रतिशत थी। परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी

प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण वित्तपोषण प्रदान करने में समर्थ थी। आरईसी की घरेलू ऋण लिखत को निरंतर "एएए" रेटिंग प्राप्त हुई, जो क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च और आईसीआरए द्वारा प्रदान की गई सबसे अधिक रेटिंग थी। आरईसी को इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे कि मूडीज और फिच से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी–" रेटिंग भी प्राप्त हुई हैं, जो सोवरन रेटिंग के समान है।

आरईसी की क्रेडिट हानि परिसंपत्तियां (स्टेज–III) निरंतर निचले स्तर पर रहीं। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, सकल क्रेडिट हानि परिसंपत्तियां (स्टेज–III) 21,255.55 करोड़ रुपये थीं, जो सकल ऋण परिसंपत्तियों का 6.59 प्रतिशत थीं, और निवल क्रेडिट हानि परिसंपत्तियां (स्टेज–III) 10,703.42 करोड़ रुपये अर्थात ऋण परिसंपत्तियों का 3.32 प्रतिशत थीं।

लाभांश

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रति 10 रुपये के प्रति इक्विटी शेयर पर 11 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया है जिसका भुगतान फरवरी, 2020 में किया गया था। बोर्ड ने वर्ष के लिए किसी वित्तीय लाभांश की सिफारिश नहीं की है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कुल लाभांश 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर पर 11 रुपए आता है जो पिछले वित्तीय वर्ष में दिए गए प्रति 10 रुपए के इक्विटी शेयर पर 11 रुपये के लाभांश के अनुसार, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 110 प्रतिशत दर्शाता है।

पूंजीगत संरचना

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी प्रति 10 रुपये के 500,00,00,000 इक्विटी शेयरों को मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए थी और कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी प्रति 10 रुपए के 197,49,18,000 इक्विटी शेयरों को मिलाकर 1,974.92 करोड़ रुपए थी। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति और एक सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) के बीच दिनांक 20 मार्च, 2019 को हुए शेयर खरीद करार के अनुसार पीएफसी के पास आरईसी का 52.63 प्रतिशत इक्विटी स्टेक है।

महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम

आरईसी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के ऐसे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में सुधार लाने के अलावा, देश में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए गहन योगदान दे रहे हैं।

आरईसी दिसंबर, 2014 में शुरू की गई विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अर्थात डीडीयूजीजेवाई के लिए नोडल एजेंसी है, जिसमें परिभाषित परियोजना घटकों के जरिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए 24X7 विद्युत' की उपलब्धि को हासिल करने के लिए, ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, भारत में जनगणना के अनुसार बसावट वाले शेष गांवों को 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत कर दिया गया है।

विद्युत मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में शुरू की गई सौभाग्य योजना अर्थात प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के प्रचालनीकरण के लिए भी आरईसी को नोडल एजेंसी नामित किया है। राज्यों और विद्युत वितरण कंपनियों के सघन प्रयासों से 11 अक्तूबर, 2017 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 2.63 करोड़ घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए। इसके अलावा, सात राज्यों (असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के अनुरोध पर, विद्युत मंत्रालय ने ऐसे 19.09 लाख अतिरिक्त गैर–विद्युतीकृत घरों का विद्युतकरण करने के लिए समय बढ़ाने का अनुमोदन दिया था, जो पहले विद्युतीकरण के इच्छुक नहीं थे और अब उन्होंने मार्च, 2019 से पहले अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इनमें से, राज्यों/डिस्कॉमों ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 13.92 लाख घरों को कनेक्शन जारी किए हैं।

भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के तहत, आरईसी ने उत्पादकों को भुगतान करने के लिए डिस्कॉमों को विशेष दीर्घावधिक ट्रांजिशन ऋण वितरित किए हैं क्योंकि वे इस महामारी के चलते नकदी की गहन समस्या का सामना कर रहे थे। इन ऋणों ने लिक्विडिटी के जरिए विद्युत क्षेत्र को अपेक्षित राहत प्रदान की है।

आरईसी द्वारा देश में विद्युत डिस्कॉमों की वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में शुरू की गई उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना अर्थात उदय योजना के कार्यान्वयन के लिए भी विद्युत मंत्रालय को सहयोग दिया जा है। आरईसी ने डिस्कॉमों के कार्य निष्पादन की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक वेब पोर्टल और एक ऑनलाइन ऐप विकसित किया है, जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता और जवाबदेही आई है।

नीतिगत पहलें

आरईसी गतिशील कारोबारी वातावरण की मांग और बदलती सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने नीति फ्रेमवर्क की नियमित रूप से समीक्षा और संशोधन करती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी ने अपनी 'निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके सन्निकट संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग करने के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए तथा उचित प्रकटीकरण के लिए संहिता', 'महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति', 'महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेन–देन और संबंधित पक्षकार से लेन–देन करने के संबंध में नीति' तथा 'धोखाधड़ी को रोकने के लिए नीति' में संशोधन किया है। कंपनी ने संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए भी एक नीति अपनाई है; और राज्य विद्युत

यूटिलिटी को कार्यशील पूंजी ऋण के लिए अतिरिक्त दिशा–निर्देश जारी किए हैं। नीतियों की नियमित रूप से समीक्षा होने से आरईसी को अपने कारपोरेट उद्देश्यों को कारगर ढंग से हासिल करने में सहायता मिली है।

मानव संसाधन प्रबंधन

आरईसी की यात्रा में मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रतिष्ठित संस्थानों से विभिन्न क्षेत्रों में 37 कार्यपालकों की नियुक्ति के माध्यम से कंपनी को नई प्रतिभाएं मिली हैं। कर्मचारियों के कौशल और कार्यनिष्पादन का उन्नयन करने के लिए, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, आरईसी का मानव संसाधनों की प्रभावी ढंग से तैनाती में विश्वास है। साथ ही, कर्मचारियों के हितों और कार्य स्तर में संतुलन बनाए रखने को भी प्रोत्साहित किया जाता है। यह संगठन की उत्कृष्टता के लिए प्रेरित कर्मचारियों के निरंतर प्रयास में दिखाई देता है।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें

आरईसी अपने व्यापारिक प्रचालनों के ऑटोमेशन में वृद्धि करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर अत्यधिक बल देता है। आपकी कंपनी, विद्युत क्षेत्र में कागज रहित कार्य करने वाला पहला सीपीएसयू था, जिसने ऑटोमेटेड वर्क फ्लो और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए 'ई–ऑफिस' का पूरे संगठन में कार्यान्वयन किया था। कंपनी ने अत्याधुनिक ई–बिजनेस ईआरपी संस्थान का संवर्धन किया है और ईआरपी हार्डवेयर से निजी क्लाउड व्यवस्था को अपनाया है। आरईसी में बोर्ड, समितियों, वरिष्ठ प्रबंधन की बैठकों, समीक्षा बैठकों, सरकारी एजेंसियों के साथ बैठकों के आयोजन, कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और बिजनेस एसोसिएट्स के साथ बैठकें करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग का व्यापक तौर पर प्रयोग हो रहा है।

आरईसी ने एनबीएफसी को अपने प्रमुख निदेशों के अनुसार, आरबीआई द्वारा निर्धारित आईटी सुरक्षा फ्रेमवर्क को भी कार्यान्वित किया है। आरईसी का प्राथमिक डाटा केंद्र और डिजास्टर रिकवरी सेंटर आईएसआ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित है और साथ ही यह सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का भी अनुसरण करता है। इसके अलावा, आरईसी के पास एक सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क है जो प्रयोक्ताओं को दूर से कार्य करने में समर्थ बनाने और कारोबार जारी रखने को सुनिश्चित करता है।

आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग

कंपनी का हैदराबाद स्थित आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमएटी) एक प्रशिक्षण संस्थान है जो विद्युत क्षेत्र से संबंधित विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। आरईसी के कर्मचारियों के लिए आंतरिक प्रशिक्षण सत्रों के अलावा, भारत और विदेश में इंजीनियरों, प्रबंधकों और विभिन्न संगठनों के अन्य कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसीआईपीएमएटी ने ऊर्जा संरक्षण से लेकर विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, प्रबंधन, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न विषयों पर कुल 132 कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित कीं। कुल मिलाकर, 3,109 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया और वर्ष के दौरान कुल 11,993 प्रशिक्षण दिवसों में प्रशिक्षण दिया गया।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा संधारणीय विकास

आरईसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय पहलों में सामाजिक लाभ की परियोजनाओं पर बल दिया गया है, जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय विकास एजेंडा के साथ व्यापक तौर पर लाभार्थियों तक पहुँच पर जोर रहा है। कंपनी की सीएसआर निधियां सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी 'आरईसी फाउंडेशन' के माध्यम से संचालित की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी ने 156.68 करोड़ रुपये का सीएसआर बजट आबंटित किया। इसके अलावा, आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में पीएम केयर्स फंड को योगदान के अलावा, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय संधारणीयता और ग्रामीण अवसंरचना विकास के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के निमित्त 258.40 करोड़ रुपए (विगत वर्षों से आगे ले जाई गई राशि सहित) की कुल राशि वितरित की। सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन आधारभूत सर्वेक्षण, विशेषीकृत समय ढांचा, अभिज्ञात लक्ष्यों, आवधिक मॉनीटरिंग और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करके परियोजना–मोड में किया जाता है। वितरण को प्रत्येक परियोजना के पूर्व परिभाषित लक्ष्यों और सुपुर्दगियों की उपलब्धि से जोड़ा गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने *स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा* पहलों को भी मनाया जिसमें स्वच्छता अभियान चलाया गया और सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। करीब 500 कि.ग्रा. सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा अलग किया गया, इकट्ठा किया गया और दिनांक 2 अक्तूबर, 2019 को आरईसी के *स्वच्छता श्रमदान* क्रियाकलाप के तहत रिसाइकल करने के लिए भेजा गया। आरईसी को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा *'स्वच्छ भारत पुरस्कार'* भी प्रदान किया गया।

निगमित सुशासन

आरईसी निगमित सुशासन के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है। हम अपने सभी दावेदारों के लिए संधारणीय मूल्य सृजन हेतु विद्यमान विनियामक कार्यढांचे के अंतर्गत एक नीतिगत और उत्तरदायी तरीके से व्यापारिक प्रचालन आयोजित करने का प्रयास करते हैं। एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में, आरईसी, कंपनी अधिनियम, सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियामवली, लोक उद्यम विभाग

के दिशा–निर्देशों और अन्य कानूनों के तहत निर्धारित निगमित सुशासन से संबंधित सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन करता है। इसके अलावा, आरईसी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मामला नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के पास विचाराधीन है।

कंपनी निगमित सुशासन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रक्रिया अपनाने में विश्वास रखती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी को इंडियन चौम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के लिए **'पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड, 2018'** प्रदान किया, जो नवरत्न और महारत्न श्रेणी में रनर अप के रूप में था।

समझौता ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी के निष्पादन को **"उत्कृष्ट"** की रेटिंग दी गई है। वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी को प्रथम इंड एएस (भारतीय लेखांकन मानक) वित्तीय विवरणों और वार्षिक रिपोर्ट में अपनाई गई अपनी प्रकटीकरण प्रक्रियाओं की मान्यता में, "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों" की श्रेणी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा *"वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई अवार्ड"* प्रदान किया गया। आरईसी को कारपोरेट कम्युनिकेशन्स के लिए स्कोप कारपोरेट कम्युनिकेशन एक्सीलेंस अवार्ड, 2019 के तहत 03 पुरस्कार *"बेस्ट हाउस जर्नल (अंग्रेजी)"* के लिए प्रथम पुरस्कार, *"बेस्ट कारपोरेट कम्युनिकेशन – इंटर्नल"* के लिए द्वितीय पुरस्कार, और *"इफेक्टिव यूज ऑफ डिजिटल मीडिया"* के लिए तृतीय पुरस्कार पुरस्कार भी प्राप्त हुए।

अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम

आरईसी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां हैं जो आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसी टीपीसीएल) और आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसी पीडीसीएल) हैं जो विद्युत क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में परियोजना परामर्शी और कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान करती हैं।

आरईसी पीडीसीएल विद्युत क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वयन और परामर्शी सेवाओं यथा डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस आदि जैसी कुछ राज्य वित्तपोषित योजनाओं के तहत वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों के कार्यान्वयन, ग्रिड/ऑफ–ग्रिड सौर (पीवी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन, स्मार्ट मीटरों के कार्यान्वयन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, तृतीय पक्ष निरीक्षणों, प्री–डिस्पैच मैटेरियल निरीक्षणों और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता/परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में कार्य करने के कारोबार में लगी हुई है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आरईसी पीडीसीएल देश के 26 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 57 डिस्कॉमों/विद्युत विभागों/सरकारी समितियों में फैली करीब 100 सतत् परियोजनाओं पर कार्य कर रही थी। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल का कुल राजस्व एवं कर पश्चात लाभ क्रमशः 143.01 करोड़ रुपए और 12.47 करोड़ रुपए था और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार उसका निवल मूल्य 168.20 करोड़ रुपए था।

आरईसी टीपीसीएल समय–समय पर विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा दी गई स्वतंत्र अंतर्राज्यीय और अंतःराज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए, प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर्राज्यीय/अंतःराज्यीय पारेषण परियोजना के विकास को शुरू करने के लिए, आरईसी टीपीसीएल परियोजना विशिष्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) को निगमित करती है जो इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सफल बोलीदाता के चयन के बाद टीबीसीबी दिशा–निर्देशों के अनुसार, आरईसीटीपीसीएल द्वारा उस सहायक कंपनी को सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित किया गया है। आरईसीटीपीसीएल विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग योजना, ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म ऊर्जा मित्र और तरंग (वास्तविक समय मॉनीटरिंग और वृद्धि के लिए पारेषण ऐप) इत्यादि जैसे अन्य कार्यों को भी संभालती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी टीपीसीएल का कुल राजस्व एवं कर पश्चात लाभ क्रमशः 70.55 करोड़ रुपए और 54.44 करोड़ रुपए था और मूल्य 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार उसका निवल 112.60 करोड़ रुपए था।

आरईसी की विद्युत क्षेत्र के तीन अन्य पीएसयू के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी यथा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) है जो ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में बाजार में सबसे आगे है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल में आरईसी का इक्विटी स्टेक 22.18 प्रतिशत था। ईईएसएल सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे उजाला (विश्व का सबसे बड़ा गैर–सब्सिडी आधारित एलईडी लाइटिंग कार्यक्रम), एसएलएनपी (मौजूदा स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट एवं ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम), राष्ट्रीय ई–मोबिलिटी कार्यक्रम (मौजूदा पेट्रोल और डीजल वाहनों को बदलने के लिए सरकारी कंपनियों को ई–वाहन प्रदान करना) और सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग कार्यक्रम (ग्राहकों को किफायती कीमतों पर सुपर एफिशिएंट एसी प्रदान करने के लिए) आदि अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए स्टैंडअलोन अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर ईईएसएल का टर्नओवर 1,934.07 करोड़ रुपये और कर पश्चात लाभ 44.92 करोड़ रुपये था।

भावी पथ

भारत का विद्युत क्षेत्र पर्याप्त सुधार, जीवाश्म ईंधन केंद्रित से नवीकरणीय केंद्रित प्रणालियों और बढ़ती ऊर्जा क्षमता की ओर परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। सरकार ने पहले ही पेरिस करार के घटकों के कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित की है और 2022 तक

नवीकरणीय ऊर्जा का 175 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह क्षेत्र 2030 तक कुल संस्थापित क्षमता के 40 प्रतिशत तक ग्रीन एनर्जी के हिस्से में वृद्धि, विद्युत मोबिलिटी का संवर्धन, ऊर्जा बचत के उपकरणों का संवर्धन और नई एवं उभरती हुई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। भावी वर्षों के आर्थिक विकास के कारण विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश भी होंगे। देश में 'सभी के लिए 24X7 विद्युत' और सभी गांवों और घरों का विद्युतीकरण करने जैसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में विद्युत के लिए भारी मांग सृजित होगी।

विद्युत मांग में वृद्धि के लिए पारेषण एवं वितरण अवसंरचना में कठोरता की भी अपेक्षा होगी जिससे 24X7 विद्युत की मांग पूरा करने के लिए भूमिगत केबलिंग, स्मार्ट मीटर एवं उपस्कर, एएमआई/एएमआर अवसंरचना तथा स्मार्ट ग्रिड आदि में अधिक निवेश आकर्षित होगा। इसके अतिरिक्त, प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली मार्ग के तहत समर्पित ग्रीन कॉरीडोर और नए नेटवर्क के सृजन के लिए निवेश की अत्यधिक आवश्यकताएं हैं। आरईसी द्वारा पूरे देश और वैल्यू चेन में, विद्युत क्षेत्र की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तपोषण हेतु उत्पादों की व्यापक रेंज को उपलब्ध कराया जाता है।

भावी रणनीति

अपने मौजूदा प्रचालन क्षेत्र में सशक्त पकड़ होने के साथ ही, आरईसी कारोबार के नए क्षेत्र में प्रवेश की ओर अग्रसर हो रही है। इसमें ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं, वित्त इलैक्ट्रो–मैकेनिकल और हाइड्रो–मैकेनिकल घटकों और उससे जुड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में सिविल कार्यों, ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ फॉरवर्ड अथवा बैकवर्ड लिंकेज वाले क्रियाकलापों के लिए विस्तार सहायता शामिल होगी। इस घटक का विकास करने के लिए भारत सरकार की सशक्त नीतिगत सहायता के साथ, अगले कुछ वर्षों के दौरान आरईसी द्वारा प्रमुखता दिए जा रहे क्षेत्र के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा की मौजूदगी जारी रहेगी। ई–वाहनों, कृषि पंप सेटों, ऊर्जा दक्ष उपकरणों, स्मार्ट पारेषण और वितरण प्रणालियों, टीबीसीबी परियोजनाओं इत्यादि से नए कारोबारी अवसरों का सृजन जारी रहेगा।

कोविड–19 महामारी के चलते आर्थिक प्रभावों के कारण, विश्व भर की कई कंपनियां अब अपनी आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण करने और भारत में अवस्थित होने पर विचार कर रही हैं। निरंतर आर्थिक और कृषि विकास होने से भी आने वाले वर्षों में विद्युत की मांग बढ़ने की भी संभावना है। विद्युत क्षेत्र में इन बदलावों के कारण प्रमुख परिवर्तन होने वाला है। इस उभरते परिदृश्य में सरकार पहले ही विद्युत क्षेत्र की सहायता करने के लिए कई उपाय कर रही है। अल्पावधि और दीर्घावधि में इन चुनौतियों का सामना करने और उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए आरईसी पूरी तरह से तैयार है।

आभार

मैं, इस अवसर पर, माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय के अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों और अन्य अधिकारियों का, उनके निरंतर समर्थन और कंपनी को दिए गए मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज को भी उनकी सद्भावना एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवालयी लेखापरीक्षकों, रजिस्ट्रार और कंपनी से जुड़े अन्य व्यावसायिकों के प्रति भी उनके मूल्यवान योगदान के लिए आभारी हूँ।

मैं, कंपनी में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों, विद्युत यूटिलिटियों और निजी क्षेत्र के उद्यमियों सहित अपने निवेशकों, उधारदाताओं, उधारकर्ताओं और ग्राहकों को विशेष धन्यवाद देता हूँ। मै, बोर्ड में अपने सहयोगियों के प्रति भी विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने कंपनी के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। मैं, आरईसी के सभी कार्मिकों एवं स्टॉफ द्वारा संगठन की सेवा में इनके अथक प्रयासों प्रति हार्दिक आभारी हूँ। मुझे विश्वास है कि सभी हितधारकों के सहयोग से भविष्य में भी और अधिक ऊंचाईयां हासिल करने के लिए आरईसी की पूरी टीम इसी प्रकार प्रयासरत रहेगी।

शुभकामनाओं सहित

(संजीव कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सह निदेशक (तकनीकी)

31 अगस्त, 2020